

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 978/ 2017/ 9(120)/ XXVII(8)/2017 dated 23 November, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 978/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 23 November, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8, No. 801/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 12 October, 2017; namely:-

1. In the said notification, in the Table –

(i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“9	Textile (handloom products), Handmade shawls, stoles and scarves	Including 50, 58, 61, 62, 63”;
----	--	--------------------------------

(ii) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“29	Chain stitch	Any chapter
30	Crewel, namda, gabba	Any chapter
31	Wicker willow products	Any chapter
32	Toran	Any chapter
33	Articles made of shola	Any chapter”.

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.


(Radha Raturi)
Principal Secretary

३

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या ७८/२०१७/९(१२०)/XXVII(८)/२०१७

देहरादूनः दिनांकः २३ नवम्बर, २०१७

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 801/2017/९(१२०) /XXVII(८)/२०१७ दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में-

(i) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद), हाथ से बनी शालें, स्टोल और स्कार्फ	62,63 ,61 ,58 ,50 सहित";
----	---	--------------------------

(ii) क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"29	शृंखला टांका	कोई अध्याय
30	क्रिवेल, नामदा, गाबा	कोई अध्याय
31	खपच्ची भिसा उत्पाद	कोई अध्याय
32	तोरण	कोई अध्याय
33	शोला से बनी चीजें	कोई अध्याय"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

(राधा रत्नौड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या ७८/२०१७/९(१२०)/XXVII(८)/२०१७ तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1—आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियों वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3—विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4—अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।

5—एनोआई०सी०

6—गार्ड फार्मल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेडा)
अनु सचिव